राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांकः प. 3 (2) वित्त/साविलेनि/2020 जयपुर, दिनांक : 29|06|2020

परिपत्र

विषय : कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर निर्माण विभागों के ठेकेदारों के पंजीयन का नवीनीकरण/ पुनरावलोकन की समयावधि में वृद्धि बाबत्।

कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लागू लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण निर्माण विभागों में पंजीकृत कुछ ठेकेदार जिन्हें पंजीयन के नवीनीकरण/पुनरावलोकन हेतु आवेदन करना था, वे समय पर संबंधित कार्यालय में आवेदन नहीं कर सके हैं।

उपरोक्त स्थितियों को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन के कारण यदि कोई ठेकेदार अपने पंजीयन के नवीनीकरण/पुनरावलोकन हेतु वांछित आवेदन समय पर नहीं कर पाये हों तो उन्हें दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक आवेदन करने की छूट प्रदान की जाती है।

समस्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

29/6/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रधान महालेखाकार (*G&SSA/A&E*) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचित क्षेत्र विकास विभाग/वन विभाग/भू जल विभाग/जल संसाधन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा/निरीक्षण/स्थानीय लेखा अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
7. समस्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/आरडब्ल्यूएसएसएमबी/भू जल विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/ सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।
8. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, आरडब्ल्यूएसएसएमबी/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/भू जल विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचित क्षेत्र विकास/वन विभाग।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग। 11. प्रशासनिक सुधार विभाग ।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR -75/2020)

GFRRules-new